संख्या: 12 /2021/ 267 /तीस-1-2021-5(18)/2015

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 26 मार्च, 2021

विषय: बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला ललितपुर के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-293बी/डीए/पूर्व/21-25जेईटी/वि0/15-16, दिनांक 17.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-32/2015/1241/तीस-1-2015-5(18)/2015, दिनांक 10.09.2015 द्वारा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, ललितपुर के निर्माण हेतु आंकलित लागत रू0 499.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 249.86 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-23/2017/217/तीस-1-2017-5(18)/2015, दिनांक 11.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 249.86 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-07/2020/1140/तीस-1-2019-5(18)/2015, दिनांक 25.02.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 937.00 लाख (रू0 नौ करोड़ सैंतीस लाख मात्र + जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी । इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू0 699.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, ललितपुर के प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (वर्तमान में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.03.2021 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त प्रश्नगत बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, ललितपुर के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रस्तावित रू0 937.00 लाख (रू0 नौ करोड़ सैंतीस लाख मात्र + जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 699.72 लाख को घटाते हुये कार्य निरन्तरता बनाये रखने हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 91.80 लाख (रू0 इक्यानबे लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 में व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं अद्यतन शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 तदनुवर्ती शासनादेशों में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम अपने स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्ण में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और नहीं वर्तमान में अन्य किसी योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

http://upmsme.up.nic.in

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ परिवहन निगम को होगा।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षत न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) संबंधित वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

(13) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा । अन्य समस्त शर्ते पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 10.09.2015 तथा दिनांक 11.08.2017 एवं शासनादेश संख्या-07/2020/1140/तीस-1-2019-5(18)/2015, दिनांक 25.02.2020 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

ह0
मदन मोहन
संयुक्त सचिव।

संख्या: 12 /2021/ 267(1) /तीस-1-2021-5(18)/2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,
ह0
मदन मोहन
संयुक्त सचिव।

http://shahanadesh.upnic.in